मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
वल्लभ भवन मंत्रालय–462004

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 2 /09/2022

क्रमांक /232/820324/2022/38-2 अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय की नोट–शीट जावक क्रमांक 32/प्र.स./उशि, दिनांक 05.08.2022 द्वारा समस्त शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टाफ तथा छात्र/छात्राओं की बायोमैट्रिक अटेंडेंस लिये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।

समस्त शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टाफ तथा छात्र/छात्राओं की बायोमैट्रिक अटेंडेस लिये जाने के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं :–

1. प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में समस्त शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टाफ तथा छात्र/छात्राओं की शत–प्रतिशत बायोमैट्रिक अटेंडेस ली जाना सुनिश्चित किया जाए।
2. विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में बायोमैट्रिक अटेंडेस हेतु समस्त शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टाफ तथा छात्र/छात्राओं की संख्या के आधार पर बायोमैट्रिक मशीन लगाया जाना सुनिश्चित किया जाए।
3. विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में 500 विद्यार्थी संख्या पर 01 बायोमैट्रिक मशीन एवं 500 से संख्या अधिक होने पर प्रति 500 विद्यार्थियों पर एक बायोमैट्रिक मशीन लगाया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. संस्था प्रमुख बायोमैट्रिक मशीन की सुरक्षा के लिए जालीदार बाक्स आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
5. समस्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में जनभागीदारी मद से भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुए बायोमैट्रिक मशीन क्रय की जाए।
6. संस्था द्वारा अपने शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टाफ तथा छात्र/छात्राओं को बायोमैट्रिक अटेंडेस हेतु निर्देशित किया जाए।
7. विश्वविद्यालय स्तर पर कुलसचिव तथा महाविद्यालय स्तर पर संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक द्वारा निरंतर मॉनिटरिंग की जाना सुनिश्चित किया जाए।
8. प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में बायोमैट्रिक मशीन लगाई जाने संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही 30 सितम्बर, 2022 तक पूर्ण की जाए तथा दिनांक 01 अक्टूबर, 2022 से बायोमैट्रिक अटेंडेस ली जाना सुनिश्चित किया जाए।

DR (Adm)/DSW
निर्देशानुसार तत्काल व्यवस्था की जाये
5/9/22

(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव
म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

468
5/9/22

निरन्तर....2.

पृ. क्रमांक: 1233 /820324/2022/38-2 भोपाल, दिनांक 2 /09/2022

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल म.प्र.।
2. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. सचिव, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल, म.प्र.।
4. कुलसचिव, समस्त परम्परागत विश्वविद्यालय भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर/रीवा/उज्जैन/छतरपुर एवं छिन्दवाड़ा म.प्र.।
5. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
6. प्राचार्य, शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, म.प्र.।
7. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आई. टी. शाखा, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

.... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2-9-22

अवर सचिव

म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग